संख्या-07/2023/I/286389/38-4002-099-1-2023

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 13 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण पर ब्याज की अदायगी हेतु अतिरिक्त आवश्यक धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-80/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0अ0यो0-ग्रा0(मूल0/ब्या0)/2022-23, दिनांक-02.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यकम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के मानक मद-01-वेतन" से अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-"2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-800 अन्य व्यय-02-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण पर ब्याज की अदायगी-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9(भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0 433.19 लाख(रूपये चार करोड़ तैंतीस लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धः-

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(5) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष यथावश्यकता वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) उपरोक्त धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वित्त पोषण हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1469/38-4-17-49(विविध)/2017, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 में विहित प्राविधानों के अधीन योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से प्राप्त ऋण की धनराशि के सापेक्ष ब्याज के भुगतान में व्यय की जायेगी।

(7) भुगतान की गयी धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(8) उपरोक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगा, उसके पश्चात ही किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि को आहरित कर बैंक, पी0एल0ए0 या डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(10) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जायेगा।

(11) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो के द्वारा किया जायेगा।

(12) हडको को मूलधन एवं ब्याज की धनराशि निर्धारित तिथि तक प्रत्येक दशा में भुगतान करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(13) देय मूलधन एवं ब्याज के आगणन की शुद्धता, धनराशि के भुगतान के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

(14) प्रत्येक त्रैमास में मूलधन एवं ब्याज की धनराशि के भुगतानोपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 हडको से भुगतान प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त की प्रति वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को भी प्रेषित की जायेगी।

(15) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा धनराशि का आहरण ऋण के रिपेमेण्ट शेड्यूल के अनुसार वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-800 अन्य व्यय-02-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण पर ब्याज की अदायगी-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश आर.ई.संख्या-बजट-1-440, दिनांक-09.03.2023 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव।

संख्या-07/2023/1/286391(1)/38-4002-099-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।

(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान परिसर, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(5) महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(6) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4
(10) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(11) श्री हरी राम, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) क्षेत्रीय प्रमुख हडको, पिकप भवन, लखनऊ।
(13) गार्ड बुक।

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

ए038-20222023-38-4002-099-1-2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-"2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-02-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण पर ब्याज की अदायगी-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यक धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515001020300 (मुख्य अधिष्ठान)	01(वेतन)	6,66,40,00,000 रुपये छह अरब छियासठ करोड़ चालीस लाख मात्र	37,58,42,400 रुपये सैंतीस करोड़ अट्ठावन लाख बयालीस हजार चार सौ मात्र	4,33,19,000 रुपये चार करोड़ तैंतीस लाख उन्नीस हजार मात्र	4,33,19,000 रुपये चार करोड़ तैंतीस लाख उन्नीस हजार मात्र	6,62,06,81,000 रुपये छह अरब बासठ करोड़ छह लाख इक्यासी हजार मात्र	2022-2023
कुल					4,33,19,000	4,33,19,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2216038000200 उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर	1,64,81,00,000 रुपये एक अरब चौंसठ करोड़ इक्यासी लाख मात्र	4,33,19,000 रुपये चार करोड़ तैंतीस लाख उन्नीस हजार मात्र	4,33,19,000 रुपये चार करोड़ तैंतीस लाख उन्नीस हजार मात्र	1,69,14,19,000	2022-2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	की अदायगी)	वेतन)					
कुल				4,33,19,000	4,33,19,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- 03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के मानक मद 01- वेतन के अन्तर्गत धनराशि रू0 433.19 लाख की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण बचत है।

2- उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण पर ब्याज की अदायगी के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत रू0 433.19 लाख की पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण अपरिहार्य आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 निर्दिष्ट प्रतिबन्धो / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-440-E-2-202-X-2022-23-दिनांक:09-03-2023

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, प्रयागराज।

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

फूलचन्द यादव
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या : तदैव , दिनांक- 09 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(2) महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(3) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
(4) अपर आयुक्त (वित्त), कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
(5) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
(8) श्री हरि राम, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड बुक।

आज्ञा से
राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in